सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

रजिस्ट्रीकरण प्रमाण – पत्र / REGISTRATION CERTIFICATE

पं. संख्या / **REG. NO.- COOP/2020/KOTA/200055**

दिनांक / DATE- 16-03-2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि **ROYAL EMPERIA VIKAS SAMITI KOTA** जिला **KOTA** का रजिस्ट्रेशन **' THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958) '** के अन्तर्गत आज किया गया है। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **ROYAL EMPERIA VIKAS SAMITI KOTA** AT DISTRICT **KOTA** IS REGISTERED UNDER **' सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) '**. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.

Signature valid

Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.03.16 15:00:23 IST
Reason: Approved
Location: Kota

ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र
CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC

सत्यमेव जयते

राजस्थान सरकार

सहकारिता विभाग / COOPERATIVE DEPARTMENT

कार्यकारिणी प्रमाण पत्र / EXECUTIVE COMMITTEE CERTIFICATE

पं. संख्या / REG. NO.- COOP/2020/KOTA/200055 दिनांक / DATE- 16-03-2020

यह प्रमाणित किया जाता है कि **ROYAL EMPERIA VIKAS SAMITI KOTA** जिला **KOTA** का रजिस्ट्रेशन **' राजस्थान सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1958 (राजस्थान एक्ट नंबर 28, 1958) '** के अन्तर्गत पंजीकृत हैं, में पंजीकरण के समय निम्नलिखित कार्यकारिणी हैं। यह प्रमाण पत्र मेरे डिजिटल हस्ताक्षरों से आज जारी किया गया है।

IT IS CERTIFIED THAT **ROYAL EMPERIA VIKAS SAMITI KOTA** AT DISTRICT **KOTA** IS REGISTERED UNDER **'THE RAJASTHAN SOCIETIES REGISTRATION ACT, 1958 (RAJASTHAN ACT NO. 28, 1958)'** HAS THE FOLLOWING EXECUTIVE COMMITTEE AT THE TIME OF REGISTRATION. THIS CERTIFICATE IS ISSUED TODAY UNDER MY DIGITAL SIGNATURE.

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Aadhaar No	DOB
1		Tarun Deep Singh	M	CHAIRMAN/PRESIDENT	XXXXXXXX5092	09/11/1984
2		Rohit Gupta	M	SECRETARY	XXXXXXXX2873	15/12/1978
3		Sandeep Kumar Bakliwal	M	TREASURER	XXXXXXXX8453	08/10/1969
4		Pankaj Kumar Jain	M	MEMBER	XXXXXXXX0880	21/07/1977
5		Thandalathu Rajasekharan Harikumar	M	MEMBER	XXXXXXXX1144	25/05/1968
6		Manju Agrawal	F	MEMBER	XXXXXXXX3269	18/11/1970
7		Vineet Choudhary	M	MEMBER	XXXXXXXX7989	02/05/1973
8		Umesh Kumar Tanwer	M	MEMBER	XXXXXXXX4640	15/07/1975

Signature valid

Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation :REGISTRAR

Sl. No.	Photo	Name	Gender	Post	Aadhaar No	DOB
9		Premjit Singh Tuli	M	MEMBER	XXXXXXXX4968	31/07/1975
10		Dinesh Khatri	M	MEMBER	XXXXXXXX0262	01/01/1961
[illegible]		Ramesh Kumar Singh	M	MEMBER	XXXXXXXX5763	24/06/1974
12		Shyam Singh Tuli	M	MEMBER	XXXXXXXX2918	09/12/1972

Signature valid

Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.0[illegible].16 15:00:23 IST

ई-मित्र
CSC

S.NO.	Name	Father_Husband_Name	Contact_No	AadharNo	DOB	Gender	Category	POSTNAME	Occupation
1	Tarun Deep Singh	S/O Bhupendra Singh	9587777777	408615425092	09.11.1984	Male	Gen	CHAIRMAN/PRESIDENT	Bussinesh
2	Rohit Gupta	S/O Mukut Bihari Gupta	9314228568	427787702873	01.01.1978	Male	Gen	SECRETARY	Pravate Job
3	Sandeep Kumar Bakliwal	S/O Parasmal Bakliwal	9414178240	370360008453	08.10.1969	Male	Gen	TREASURER	Bussinesh
4	Dinesh Khatri	S/O Laxmi Narayan Khatri	9414190550	331010440262	01.01.1961	Male	Gen	MEMBER	Bussinesh
5	Ramesh Kumar Singh	S/O Dharmnath Singh	8494285870	476190165763	24.06.1974	Male	Gen	MEMBER	Pravate Job
6	Shyam Singh Tuli	S/O Rajinder Singh Tuli	9414177043	678294862918	01.01.1972	Male	Gen	MEMBER	Bussinesh
7	Vineet Choudhary	S/O Man Mohan Choudhary	9414055345	824580127989	02.05.1973	Male	Gen	MEMBER	Govt. Job
8	Umesh Kumar Tanwar	S/O Dev Lal Tanwar	9414257152	204737404640	01.01.1975	Male	Obc	MEMBER	Bussinesh
9	Premjit Singh Tuli	S/O Rajinder Singh Tuli	9829664551	488171884968	31.07.1975	Male	Gen	MEMBER	Govt. Job
10	Pankaj Kumar Jain	S/O Prakash Chand Jain	9828170075	822241660880	21.07.1977	Male	Gen	MEMBER	Bussinesh
11	Thandalathu Rajasekharan Harikumar	S/O P. G. R Nair	9425331848	479991121144	25.05.1968	Male	Gen	MEMBER	Bussinesh
12	Manju Agrawal	W/O Ghanshyam Agrawal	7073503622	514586893269	18.11.1970	Female	Gen	MEMBER	House Wife

Members	NOOfS	ShareCapitalAmount	Address	loaneeType	MEMBERTYPE
1	0	1200	26 JANAKPURI MALA ROAD RANGPUR KOTA	NA	GENERALMEMBERS
2	0	1200	NEAR MODI COLLAGE DADABADI EXTENTION 456 DADABADI UIT AAVASIYA COLONY KOTA	NA	GENERALMEMBERS
3	0	1200	1-F-20 NEAR SANGAM MESS VIGYAN NAGAR KOTA	NA	GENERALMEMBERS
4	0	1200	K K MOTARS OPP. NEW CIVIL LINE KOTA ROAD BARAN	NA	GENERALMEMBERS
5	0	1200	MIG 2A-200 CO- OPERATIVE COLONY KALINGA VIHAR CHAND RUKELA SUNDARGAND ORISSA	NA	GENERALMEMBERS
6	0	1200	A-10 KRISHNA NAGAR BAJRANG NAGAR POLICE LINE NAYAPURA KOTA	NA	GENERALMEMBERS
7	0	1200	H.N.10-B-8 PARIJAT YOJANA MAHAVEER NAGAR 3 LADPURA KESOPURA KOTA	NA	GENERALMEMBERS
8	0	1200	RAGHUNATH JI KE MANDIR KE PASS BARAN	NA	GENERALMEMBERS
9	0	1200	A-10 KRISHNA NAGAR BAJRANG NAGAR POLICE LINE NAYAPURA KOTA	NA	GENERALMEMBERS
10	0	1200	BAJAR NO.1 PANCHMUKHI ROAD AGRASEN ATITHI GRAH KE SAMNE RAMGANJMANDI KOTA	NA	GENERALMEMBERS
11	0	1200	C-91 N C L JAYYANT PROJECT SECTOR NO.3 GOPAD BANAS SIDHI MADHYAPRADAS	NA	GENERALMEMBERS
12	0	1200	AGRAWAL KIRANA STORE AASNAWER JHALAWAR	NA	GENERALMEMBERS

रॉयल एम्पीरिया विकास समिति,कोटा

✡ संघ विधान–पत्र ✡

1.	**संस्था का नाम :–**	इस संस्था का नाम रॉयल एम्पीरिया विकास समिति,कोटा है व रहेगा।
	पंजीकृत कार्यालय	इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय रॉयल एम्पीरिया प्लाट नं. 4(ए) इन्द्र विहार कॉलोनी ओम सिने प्लेक्स के पास कोटा (राज.) है।
	तथा कार्यक्षेत्र :–	रॉयल एम्पीरिया प्लाट नं. 4(ए) इन्द्र विहार कॉलोनी ओम सिने प्लेक्स के पास कोटा (राज.) है, तथा इसका कार्यक्षेत्र उक्तानुसार ही होगा।
3.	**संस्था के उद्देश्य:–**	इस संस्था के निम्नलिखित उद्वेश्य हैं :–

1. कोटा नगर में स्थित रॉयल एम्पीरिया के फ्लेट मालिको, की यह संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य इसमें रहने वाले व्यक्तियों के बीच आपसी सद्भाव व शान्तिपूर्ण दिनचर्या का वातावरण तैयार करना तथा सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व बौद्विक उत्थान व विकास के लिए कार्य करना है।
2. संस्था द्वारा उक्त रॉयल एम्पीरिया के निवासियों के बीच एकता, समानता, भाईचारा व पारस्परिक सहयोग की भावना जागृत करना एवं इनके अधिकारों की रक्षार्थ समुचित कार्यवाहियां करना, तथा राष्ट्रीय उत्सवों, धार्मिक व सामाजिक उत्सवों, त्यौहारों पर सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना।
3. रॉयल एम्पीरिया के विकास तथा सदस्यों के लिए सुविधाजनक वातावरण व आवागमन तथा बिजली, पेयजल, ऑपन स्पेस, लिफ्ट, सीढ़ी, कॉमन पैसेज (सभी तल पर), बोरिगं मय मोटर, पावर बैकअप जनरेटर, ट्रान्सफार्मर, फायर इक्यूपमेन्ट, सी.सी.टी.वी. केमरे व अन्य सभी प्रकार के उपकरण (इक्यूपमेन्ट) का रख रखाव एवं प्रबन्धन करना। तथा संस्था के सदस्यों को उचित मार्ग दर्शन देना,संस्था द्वारा उपनियम बनाकर व नीतिनिर्धारणकर दिशा–निर्देश देना।
4. रॉयल एम्पीरिया में गार्ड सहित सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना। मूलभूत आवश्यकताओं व सुविधाओं को सुचारू व व्यवस्थित तरीके से संचालित करना। सोसायटी सदस्यों की समस्याओं व आपसी मतभेदों के निराकरण हेतु सोहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना। सोसायटी से सम्बन्धित सभी सरकारी अर्द्ध सरकारी व प्रशासनिक मामलों का निपटारा करना।
5. रॉयल एम्पीरिया के सदस्यों के हितो के रक्षार्थ उचित कार्यवाही कर सहयोग व सहायता करना। पर्यावरण संरक्षण, वातावरण शुद्वता, स्वच्छता, स्वास्थ्य व चिकित्सा सहयोग के लिए कार्य करना। इस हेतु समय समय पर गतिविधियां, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना व परिसर की देखभाल व सदस्यों के हितो का संरक्षण करना।
6. सोसायटी केम्पस् में नियमानुसार की गई पार्किगं व्यवस्था को बरकरार रखते हुए सुचारू रूप से संचालन करना, सामूहिक प्रयोग के सम्पूर्ण स्थानों व कॉमन एरिया, जीना, पार्किगं,छत, लिफ्ट, पानी के टेंक इत्यादि की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी वैध एवं विधिक कार्यो का निर्वहन करना तथा सदस्यों के हितों के संरक्षण व सहयोग हेतु समय समय पर कार्यवाहियां करना।

उपरोक्त उद्वेश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है। तथा संस्था में कार्यकारिणी गठन इत्यादि के सम्बन्ध में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए सिविल न्यायालय में ही उपचार उपलब्ध रहेगा।

अध्यक्ष　　　　सचिव　　　　Sandeep कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.08.16 15:00:28 IST

CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC

s.no.	flat no.	name	father name	HUBAND NAME
1	102-b	UMESH KUMAR TANWAR	DEVI LAL TANWAR	NA
2	103-b	ranjita bhol	NA	SAROJ KUMAR BHOL
3	106-E	johnson		
4	108-F	MANJU AGARWAL	NA	GHANSHYAM AGARWAL
5	109-G	DHARAM SINGH		
6	111-I	suresh kumar	BHAGWAN DAS CHENANI	NA
7	203-B	GIRISH NAGAR	HARI MOHAN NAGAR	NA
8	204-C	RAJKUMAR THAKUR	NAGENDRA THAKUR	NA
9	211-I	AMIT KUMAR MASAND	DHARAMPAL MASAND	NA
10	301-A	KAJAL MITTAL	NA	UPVAN MITTAL
11	306-E	Prabjyot Ji	NA	LT. SH UPKAR SINGH
12	307-E	MAHAVEER AGARWAL	SATISH CHAND GUPTA	NA
13	308-F	SHEETAL KHATRI	NA	DINESH KHATRI
14	310-H	Jasbeer kaur	NA	BHUPENDRA SINGH
15	402-B	Rajaak Mohd. Pinjara	ABDUL GAPHUR PINZARA	NA
16	403-B	Anil Kumar, Anu Sharma	P B SHARMA	NA
17	404-C	Mahesh Sharma	JAGDISH SHARMA	NA
18	501-A	Col. Basant Singh	SHER SINGH	NA
19	503-B	Rajesh Maldhani	KANHAIYA LAL MALDHANI	NA
20	510-H	bharatdeep singh	BHUPENDRA SINGH	NA
21	604-C	Sanjay Ji Soni	SOHAN LAL SONI	NA
22	607-E	S.K Bhol	KARTIK CHANDRA BHOL	NA
23	802-B	Mukesh Chetwani	RAGHUMAL CHETWANI	NA
24	805-D	Baby Jain	NA	APURV KUMAR JAIN
25	807-E	NEHA SONI	NA	HITENDRA SONI
26	1008-F	VINEET TONDON	K P TANDON	NA
27	1009-G	BASANT KR. SINGH	RADHA CHARAN SINGH	NA
28	1202-B	AABHA YADAV	NA	BRIJESH YADAV
29	1301-A	Rajesh maldhani	KANHAIYA LAL MALDHANI	NA
30	1302-B	Rajesh maldhani	KANHAIYA LAL MALDHANI	NA
31	1303-C	mukesh chetwani	RAGHUMAL CHETWANI	NA
32	1304-D	mukesh chetwani	RAGHUMAL CHETWANI	NA

Signature

Digitally signed by Aj
Designation : REGIS
Date: 2020.08.16 15
Reason: Approved
Location: Kota

CSC ❖ ई-मित्र ❖ राजस्थान सरकार

ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖ ई-मित्र ❖

56 511.1 — रेणु कशोहर w/o आशीष कशोहर

57 705-D — शीफाली जैन w/o राजेन्द्र कुमार जैन

58 209-G आलोक शर्मा s/o राम प्रताप

total — 117 - 58 =

Signature valid

Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.08.16 15:00:28 IST
Reason: Approved
Location: Kota

CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC ❖ CSC

33 - 1204-D - ARUN KUMAR GAUTAM - BHAJAN LAL KAM...

34 - 806-E शिखा जैन W/O संदीप बाकलीवाल

35 - 410 H → T.R. हरिकुमार S/O - P.G.R. NAIR

36 - 411-I निशा सिंह W/O रमेश कुमार सिंह

37 - ...5-D विवेक रामलाल सिंह S/O - रामलाल श्याम सिंह

38 - 1004 C - नरेश गुप्ता S/O - मोती लाल गुप्ता

39 - 701-A - मोह० सद्दाम S/O मोह० सलाम

40 - 401 A - विजित चौधरी S/O - मनमोहन चौधरी

41 - 901-A रितु तिवारी W/O - चन्द्रशेखर तिवारी

42 - 702-B - मृदुला शर्मा W/O - संजय शर्मा

43 - 805-J - प्रिती तुली W/O श्याम सिंह तुली

44 - 1105-D - सुधिर कुमार पाहवा S/O - गिरधारी लाल पाहवा

45 - 708-F - रजनेश वाजपेयी S/O - उपमन्यु वाजपेयी

46 - 309-G - ओम प्रकाश S/O आनन्दी लाल

47 - 409-G - शिवानन्द S/O - — " —

48 - 807-F मुकेश मेवाड़ा S/O - नन्द किशोर मेवाड़ा

49 - 507-E अनुज गुप्ता W/O - मधुर गुप्ता

50 - 811-I - मुकेश यादव S/O - मुरारी लाल यादव

51 - 506-E रोहित गुप्ता S/O - मुकुट बिहारी गुप्ता

52 - 408-F निर्मल अग्रवाल S/O गोपाल लाल अग्रवाल

53 - 1111-I रुक्मणी जाखड़ W/O अमर किशोर जाखड़

54 - 1010 H ————

55 - 101-A हरजीत सिंह जाखड़ S/O - रावत सिंह जाखड़

Signature valid
Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.0? 16 15:00:28 IST
Reason: Appr...

रॉयल एम्पीरिया विकास समिति,कोटा

✡ विधान (नियमावली) ✡

1. **संस्था का नाम :–** इस संस्था का नाम रॉयल एम्पीरिया विकास समिति,कोटा है व रहेगा।

पंजीकृत कार्यालय इस संस्था का पंजीकृत कार्यालय रॉयल एम्पीरिया प्लाट नं. 4(ए) इन्द्र विहार कॉलोनी ओम सिने प्लेक्स के पास कोटा (राज.) है।

तथा कार्यक्षेत्र :– रॉयल एम्पीरिया प्लाट नं. 4(ए) इन्द्र विहार कॉलोनी ओम सिने प्लेक्स के पास कोटा (राज.) है, तथा इसका कार्यक्षेत्र उक्तानुसार ही होगा।

3. **संस्था के उद्देश्यः–** इस संस्था के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :–

1. कोटा नगर में स्थित रॉयल एम्पीरिया के फ्लेट मालिको, की यह संस्था है, जिसका प्रमुख उद्देश्य इसमें रहने वाले व्यक्तियों के बीच आपसी सद्भाव व शान्तिपूर्ण दिनचर्या का वातावरण तैयार करना तथा सामाजिक, नैतिक, आर्थिक व बौद्धिक उत्थान व विकास के लिए कार्य करना है।
2. संस्था द्वारा उक्त रॉयल एम्पीरिया के निवासियों के बीच एकता, समानता, भाईचारा व पारस्परिक सहयोग की भावना जागृत करना एवं इनके अधिकारों की रक्षार्थ समुचित कार्यवाहियां करना, तथा राष्ट्रीय उत्सवों, धार्मिक व सामाजिक उत्सवों, त्यौहारों पर सामूहिक कार्यक्रम आयोजित करना।
3. रॉयल एम्पीरिया के विकास तथा सदस्यों के लिए सुविधाजनक वातावरण व आवागमन तथा बिजली, पेयजल, ऑपन स्पेस, लिफ्ट, सीढ़ी, कॉमन पैसेज (सभी तल पर), बोरिगं मय मोटर, पावर बैकअप जनरेटर, ट्रान्सफार्मर, फायर इक्यूपमेन्ट, सी.सी.टी.वी. केमरे व अन्य सभी प्रकार के उपकरण (इक्यूपमेन्ट) का रख रखाव एवं प्रबन्धन करना। तथा संस्था के सदस्यों को उचित मार्ग दर्शन देना,संस्था द्वारा उपनियम बनाकर व नीतिनिर्धारणकर दिशा–निर्देश देना।
4. रॉयल एम्पीरिया में गार्ड सहित सुरक्षा की पूर्ण व्यवस्था सुनिश्चित करना। मूलभूत आवश्यकताओं व सुविधाओं को सुचारू व व्यवस्थित तरीके से संचालित करना। सोसायटी सदस्यों की समस्याओं व आपसी मतभेदों के निराकरण हेतु सोहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करना। सोसायटी से सम्बन्धित सभी सरकारी अर्द्ध सरकारी व प्रशासनिक मामलों का निपटारा करना।
5. रॉयल एम्पीरिया के सदस्यों के हितो के रक्षार्थ उचित कार्यवाही कर सहयोग व सहायता करना। पर्यावरण संरक्षण, वातावरण शुद्धता, स्वच्छता, स्वास्थ्य व चिकित्सा सहयोग के लिए कार्य करना। इस हेतु समय समय पर गतिविधियां, कार्यक्रमों की व्यवस्था करना व परिसर की देखभाल व सदस्यों के हितो का संरक्षण करना।
6. सोसायटी केम्पस् में नियमानुसार की गई पार्किगं व्यवस्था को बरकरार रखते हुए सुचारू रूप से संचालन करना, सामूहिक प्रयोग के सम्पूर्ण स्थानों व कॉमन एरिया, जीना, पार्किगं,छत, लिफ्ट, पानी के टैंक इत्यादि की सम्पूर्ण सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करना।
7. संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु अन्य सभी वैध एवं विधिक कार्यो का निर्वहन करना तथा सदस्यों के हितों के संरक्षण व सहयोग हेतु समय समय पर कार्यवाहियां करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति में कोई लाभ निहित नहीं है। तथा संस्था में कार्यकारिणी गठन इत्यादि के सम्बन्ध में होने वाले विवादों के निपटारे के लिए सिविल न्यायालय में ही उपचार उपलब्ध रहेगा।

अध्यक्ष   सचिव   कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.0? 16 15:00:31 IST

4. **सदस्यता :–** निम्न योग्यता रखने वाले व्यक्ति संस्था के सदस्य बन सकेंगे–

1. भारत का नागरिक हो।
2. वयस्क हों।
3. पागल,दीवालिये न हों।
4. संस्था के उद्वेश्यों में रूचि व आस्था रखते हों।
5. संस्था के हित को सर्वोपरि समझते हों।
6. रॉयल एम्पीरिया कोटा में फ्लेट का मालिक हो।
7. फ्लेट मालिक की मृत्यु के पश्चात उसका नामित व्यक्ति।

5. **सदस्यों का वर्गीकरण :–**

संस्था के सदस्य निम्न प्रकार वर्गीकृत होगें–

इस संस्था के सभी सदस्य (रजिस्टर्ड फ्लेट ऑनर) समान रूप से साधारण श्रेणी के सदस्य होगें।

6. **सदस्यों द्वारा प्रदत्त शुल्क व चन्दा :–**

उपनियम संख्या 5 में अंकित सदस्यों द्वारा सदस्यता शुल्क निम्न प्रकार देय होगा :–

(a) फ्लेट ऑनर को सोसायटी का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। जिसकी सदस्यता शुल्क 200/– रू सोसायटी कार्यालय में जमा कराने पर सदस्यता प्रदान की जायेगी।

रायल एम्पीरिया में 1 BHK, 1.5 BHK, 2 BHK एवं 3 BHK, फ्लेट निर्मित है, जिनका मासिक रख रखाव शुल्क/Monthly Maintenance Charge (MMC) सभी फ्लेट ऑनर (सोसायटी सदस्य) से समान रूप से 1000 रू प्रतिमाह लिया जायेगा।

मासिक रख रखाव शुल्क के अतिरिक्त प्रति सदस्य सोसायटी के पक्ष में 1.00 लाख रू बैंक में जमा करवायी जायेगी जिसके ब्याज की राशि को सोसायटी सदस्यों के हित में व्यय करने की स्वीकृति सोसायटी की आमसभा से लिया जाना अनिवार्य होगा।

Monthly Maintenance Charge (MMC) के रूप में राशि हर माह की 1 से 10 तारीख के बीच में जमा करवानी होगी। हर जमा की गई राशि की मान्यता सोसायटी द्वारा दी गई रसीद से ही मान्य होगी।

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.0[illegible] 16 15:00:31 IST

10 तारीख तक मासिक रख रखाव राशि जमा न कराने पर 200 रू प्रतिमाह विलम्ब शुल्क के रूप में जमा करवाना होगा।

(b) स्थानान्तरण शुल्क (Transfer Charges) यदि कोई फ्लेट धारक अपने फ्लेट का बेचान किसी अन्य व्यक्ति को करता है तो बेचान कर रहे सदस्य को समिति के बाकी रह रहे सभी शुल्क की अदायगी के पश्चात N.O.C. प्राप्त करना अनिवार्य है, उसके पश्चात ही वह अपने फ्लेट का बेचान करने का अधिकारी होगा। विक्रेता एवं क्रेता को प्रतिपक्ष सोसायटी शुल्क के रूप में 15,000 रू जमा करवाना होगा। तत्पश्चात विक्रेता की सदस्यता समाप्त कर क्रेता को समिति का सदस्य बनाया जायेगा।

(c) नामांकन शुल्क (Nomination Charges) फ्लेट धारक की मृत्यु के पश्चात् उसका नामित व्यक्ति या विधिक उत्तराधिकारी ही समिति का सदस्य माना जायेगा। यह सदस्यता उसे सोसायटी कार्यालय में 100/– रू का शुल्क जमा कराने पर प्रदान की जायेगी।

(d) सदस्यता समाप्ति (Termination of Membership) यदि कोई फ्लेट धारक (समिति सदस्य) 6 माह तक Monthly Maintenance Charge (MMC) जमा नही करवाता है तो उसकी सोसायटी सदस्यता निरस्त करने का अधिकार सोसायटी को होगा व उससे सोसायटी विलम्ब शुल्क के साथ सदस्यता शुल्क दुबारा वसूलने का अधिकार भी सोसायटी को होगा। (लेकिन सोसायटी सदस्यता समाप्त करने से पहले सोसायटी द्वारा उसको लिखित सूचना सहित तीन बार नोटिस प्रेषित करेगी। यदि कोई फ्लेट धारक कोई वैद्य कारण लिखित में पेश करता है तो सोसायटी उसे छूट देने पर विचार कर सकेगी)

भविष्य में उपरोक्त दरे बढ़ाई जा सकती है, व सभी मेम्बर्स को सोसायटी द्वारा निर्धारित दरों को मानना अनिवार्य होगा।

इसके अतिरिक्त सोसायटी के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षा की जायेगी कि वे समय समय पर सोसायटी द्वारा बनाये गये नियमों एवं सोसायटी के पंजीकृत उपनियमों की पालना करें तथा अपना व्यवहार एवं आचरण संयमित रखें। यदि किसी सदस्य का

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.08.16 15:00:31 IST

आचरण उक्तानुसार विपरीत पाया जाता है तो सोसायटी उसकी सदस्यता निलम्बित/समाप्त कर सकेगी। साथ ही उस सदस्य को मतदान एवं कार्यकारिणी के निर्वाचन के लिए भी निर्योग्य मानकर वंचित कर सकेगी।

सदस्यता से निष्कासन :–

संस्था के सदस्यों का निष्कासन निम्न प्रकार किया जा सकेगा:–

1. मृत्यु होने पर
2. त्याग–पत्र देने पर
3. संस्था के उद्देश्यों के विपरीत कार्य करने पर
4. प्रबन्धकारिणी द्वारा दोषी पाये जाने पर।
5. रॉयल एम्पीरिया कोटा का फ्लेट मालिक न रहने पर।

उक्त प्रकार के निष्कासन की अपील 15 दिन के अन्दर–अन्दर लिखित में आवेदन करने पर साधारण सभा के निर्णय हेतु वैध समझी जावेगी तथा साधारण सभा के बहुमत का निर्णय अन्तिम होगा।

8. **साधारण सभा :–** संस्था के उपनियम संख्या 5 में वर्णित सभी सदस्य मिलकर साधारण सभा का निमार्ण करेंगे ।

9. **साधारण सभा के अधिकार और कर्त्तव्य :–**

साधारण सभा के निम्न अधिकार और कर्त्तव्य होंगे:–

1. प्रबन्धकारिणी का चुनाव करना
2. वार्षिक बजट पारित करना।
3. प्रबन्धकारिणी द्वारा किये गये कार्यों की समीक्षा करना व पुष्टि करना।
4. संस्था नियमों के विरूद्ध कार्य करने पर कार्य कारिणी एवं किसी पदाधिकारी को बहुमत से हटाना।
5. संस्था के कुल सदस्यों 2/3 बहुमत से विधान में संशोधन, परिवर्तन अथवा परिवर्द्धन करना ।

(जो रजिस्ट्रार संस्थायें, कोटा के कार्यालय में फाईल जमा कराया जाकर प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर लागू होगा)

10. **साधारण सभा की बैठके :–**

अध्यक्ष | सचिव | कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.0? 16 15:00:31 IST

1. साधारण सभा की वर्ष में एक बैठक अनिवार्य होगी लेकिन आवश्यकता पड़ने पर विशेषतया सभा अध्यक्ष/सचिव द्वारा कभी भी बुलाई जा सकेगी।
2. साधारण सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्यों का 50%+1 होगा।
3. बैठक की सूचना 7 दिन पूर्व व अति आवश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय की भी दी जायेगी ।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी, जो स्थगन के पश्चात् पुनः निर्धारित स्थान व समय पर आहूत की जा सकेगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की कोई आवश्यकता नहीं होगी लेकिन विचारणीय विषय वही होंगे जो पूर्व एजेन्डा में थे।
5. संस्था के 1/3 सदस्यों के लिखित आवेदन करने पर अध्यक्ष/सचिव द्वारा एक माह के अन्दर-अन्दर बैठक आयोजित करना अनिवार्य होगा। निर्धारित अवधि में अध्यक्ष/सचिव द्वारा बैठक न बुलाये जाने पर कोई भी 3 सदस्य बैठक हेतु नोटिस जारी कर सकेंगे। तथा इस प्रकार की बैठक में होने वाले समस्त निर्णय वैधानिक व सर्वमान्य होंगे।

11. **कार्यकारिणी का गठन :-**

संस्था के कार्यो को सुचारू रूप से चलाने व प्रबन्ध व्यवस्था के लिए एक प्रबन्धकारिणी का गठन किया जायेगा जिसके पदाधिकारी व सदस्य निम्न प्रकार होगें :-

(1) अध्यक्ष	–	एक	(2)	सचिव	– एक
(3 कोषाध्यक्ष	–	एक	(4)	कार्यकारिणी सदस्य	दो

इस प्रकार संस्था की प्रबंध कारिणी में तीन पदाधिकारी एवं दो कार्यकारिणी सदस्य सहित कुल पांच सदस्य होंगे।

12. **कार्यकारिणी का निर्वाचन :-**

1. संस्था की प्रबन्धकारिणी का चुनाव दो वर्ष की अवधि के लिए साधारण सभा द्वारा किया जावेगा।
2. चुनाव प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा किया जावेगा।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.06.16 15:00:31 IST

3. चुनाव अधिकारी की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी।

13. कार्यकारिणी के अधिकार और कर्त्तव्य :–

संस्था की कार्यकारिणी के निम्नलिखित अधिकार व कर्त्तव्य होगें:–

1. सदस्य बनाना / निष्कासित करना।
2. वार्षिक बजट व आय–व्यय तैयार करना।
3. संस्था की सम्पत्ति की सुरक्षा करना।
4. वैतनिक कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन भत्तों का निर्धारण करना व सेवा मुक्त करना।
5. साधारण सभा द्वारा पारित निर्यणों को क्रियान्वित करना।
6. कार्य व्यवस्था हेतु उप समितियां बनाना।
7. अन्य कार्य जो संस्था के हितार्थ हो, करना।

14. कार्यकारिणी की बैठके :–

1. कार्यकारिणी की वर्ष में कम से कम 5 बैठकें अनिवार्य होंगी। लेकिन आवश्यकता होने पर बैठकें अध्यक्ष / मंत्री द्वारा कभी भी बैठके बुलाई जा सकेगी।
2. बैठक का कोरम प्रबन्धकारिणी की कुल संख्या के आधे से एक अधिक होगा।
3. बैंठक की सूचना प्रायः 7 दिन पूर्व दी जायेगी तथा अत्यावश्यक बैठक की सूचना परिचालन से कम समय में दी जा सकती है।
4. कोरम के अभाव में बैठक स्थगित की जा सकेगी जो पुनः दूसरे दिन निर्धारित स्थान व समय पर होगी। ऐसी स्थगित बैठक में कोरम की आवश्यकता नहीं होगी। लेकिन विचारणीय विषय वही होगे, जो पूर्व एजेण्डा में थे। ऐसी स्थगित बैठक में उपस्थित सदस्यों के अतिरिक्त प्रबन्धकारिणी के कम से कम दो पदाधिकारियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इस सभा की कार्यवाही की पुष्टि आगामी आमसभा में करानाः आवश्यक होगा।

15. कार्यकारिणी के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्त्तव्य :–

संस्था की प्रबन्धकारिणी के अधिकार व कर्त्तव्य निम्न प्रकार होगें।

(1) अध्यक्ष

1. बैठकों की अध्यक्षता करना।

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.08.16 15:00:31 IST

2. मत बराबर आने पर निर्णायक मत देना।
3. बैठकें आयोजित करना।
4. संस्था का प्रतिनिधित्व करना।
5. संविदा तथा अन्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करना।
6. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व बिल आदि पास करना।
7. संस्था से सम्बन्धित कानूनी दस्तावेजो पर संस्था की ओर से अधिकृत व्यक्तियों के साथ मिलकर हस्ताक्षर करना।
8. सोसायटी से सम्बन्धित सभी प्रकार के बिल पास करना।
9. कार्यकारिणी की लगातार तीन बैठको में बिना वैद्य कारण बताये अनुपस्थित रहने वाले कार्यकारिणी सदस्यों के विरूद्ध समुचित कार्यवाही करना।

(2) सचिव :–

1. बैठकें आयोजित करना।
2. कार्यवाही लिखना तथा रिकार्ड रखना।
3. आय–व्यय पर नियन्त्रण रखना।
4. वैतनिक कर्मचारियों पर नियन्त्रण करना तथा उनके वेतन व बिल आदि पास करना।
5. संस्था का प्रतिनिधित्व करना व कानूनी दस्तावेजों पर संस्था की ओर से अधिकृत व्यक्तियों के साथ हस्ताक्षर करना।
6. पत्र व्यवहार करना।
7. सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु वैधानिक अन्य कार्य जो आवश्यक हो।
8. सोसायटी सम्बन्धित समस्त प्रकार के बिल पास करना।

(3) कोषाध्यक्ष :–

1. वार्षिक लेखा–जोखा तैयार करना।
2. दैनिक लेखों पर नियन्त्रण रखना।
3. चन्दा / शुल्क / अनुदान आदि प्राप्त कर रसीद देना।
4. अन्य प्रदत्त कार्य सम्पन्न करना।

16. **संस्था का कोष :–** संस्था का कोष निम्न प्रकार से संचित होगा :–

1. चन्दा

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.03.16 15:00:31 IST

2. शुल्क
3. अनुदान
4. सहायता

1. उक्त प्रकार से संचित राशि किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सुरक्षित रखी जायेगी।
2. अध्यक्ष/सचिव/कोषाध्यक्ष में से किन्ही दो पदाधिकारियों के संयुक्त हस्ताक्षरों से बैंक में लेन–देन संभव होगा।

17. **कोष सम्बन्धी विशेषाधिकार :–**

संस्था के हित में तथा कार्य व समय की आवश्यकतानुसार निम्न पदाधिकारी संस्था निम्न राशि एक मुश्त स्वीकृत कर सकेंगे।

1. अध्यक्ष 20,000/– रूपये
2. सचिव 15,000/– रूपये
3. कोषाध्यक्ष 10,000/– रूपये

उपरोक्त प्रकार से व्यय की गई राशि का अनुमोदन प्रबंधकारिणी से कराया जाना आवश्यक होगा।

18. **संस्था का अंकेक्षण :–** संस्था के समस्त लेखों जोखों का वार्षिक अंकेक्षण कराया जावेगा। अकेक्षण की नियुक्ति प्रबन्धकारिणी द्वारा की जावेगी। वार्षिक लेखे रजिस्ट्रार संस्थाऐं कोटा को प्रस्तुत करने होगें।

19. **संस्था के विधान में संशोधन,परिवर्तन व परिवर्द्धन :–**

संस्था के विधान में आवश्कतानुसार साधारण सभा के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से परिवर्तन, परिवर्द्धन अथवा संशोधन किया जा सकेगा। जो राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 12 के अनुरूप होगा।

20. **संस्था के लेखे जोखों का निरीक्षण :–**

रजिस्ट्रार संस्थाए कोटा अथवा उनके द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि को संस्था के रिकार्ड का निरीक्षण/ जाँच करने

अध्यक्ष सचिव कोषाध्यक्ष

Signature valid
Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.09.16 15:00:31 IST

का पूर्ण अधिकार होगा व उनके द्वारा दिये गये सुझावों की पूर्ति की जावेगी।

संस्था का विघटन :– यदि संस्था का विघटन आवश्यक हुआ तो संस्था के समस्त ऋणो व दायित्वों की पुष्टि के पश्चात संस्था की चल व अचल सम्पत्ति समान उद्देश्य वाली संस्था को हस्तान्तरित कर दी जावेगी। लेकिन उक्त समस्त कार्यवाही राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1958 की धारा 13 व 14 के अनुरूप होगी।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त विधान (नियमावली)..... **रॉयल एम्पीरिया विकास समिति,कोटा** की सही व सच्ची प्रति है।

✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿✿

अध्यक्ष	सचिव	कोषाध्यक्ष

Signature valid

Digitally signed by Ajay Singh Panwar
Designation : REGISTRAR
Date: 2020.08.16 15:00:31 IST